भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1622

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन,1946 (शक) को दिया जाना है)

एमएसएससी के अंतर्गत गुजरात को आबंटित राशि

1622. श्री हरीभाई पटेलः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना (एमएसएससी) के अंतर्गत गुजरात राज्य सरकार के लिए आबंटित, स्वीकृत और संवितरित राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना की शुरुआत से लेकर अब तक गुजरात राज्य से लाभार्थियों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) एमएसएससी की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए गुजरात में स्थानीय सरकारी निकायों और स्वयं सहायता समूहों के साथ सहयोग करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) गुजरात के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच एमएसएससी के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या गुजरात जैसे अत्यधिक ग्रामीण आबादी वाले राज्यों में महिलाओं के लिए एमएसएससी को अधिक आकर्षक बनाने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन या सुविधाओं पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) लागू नहीं। महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी) डाक विभाग और बैंकों के माध्यम से चलाई जाने वाली एक स्वैच्छिक बचत योजना है, जिसमें महिला जमाकर्ताओं को उच्च ब्याज दर प्रदान की जाती है।

(ख) अपनी स्थापना की शुरुआत से गुजरात राज्य से संबंधित एमएसएससी के तहत लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या इस प्रकार हैः -

वित्त वर्ष	एमएसएससी के तहत लाभार्थियों की संख्या
2023-24	1,16,280 (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)
2024-25	1,56,726 (31.01.2025 की स्थिति के अनुसार)

(ग), (घ) और (ङ) देश की महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 31/03/2023 को योजना शुरू की गई थी। डाक विभाग और सभी एजेंसी बैंक योजनाओं की पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना सहित राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं की मुख्य विशेषताओं/लाभों को बढ़ावा देते हैं और उन्हें प्रदर्शित करते हैं।

*****